न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निर्देशक
पीठासीन अधिकारी : बी. एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 178/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. स्वर्गीय रूप सिंह के कायम मुकामः— 1. बागसिंह 2. श्रवणसिंह 3. विक्रमसिंह 4. पवन कंवर 5. हवन कंवर वारिसान स्वर्गीय रूप सिंह निवासी– बडगांव तहसील शिवगंज, सिरोही। 2. चन्दनसिंह पुत्र रघुनाथसिंह 3. हंसकंवर पत्नी स्व0 भूपेन्द्रसिंह निवासी– बडगांव तहसील शिवगंज, सिरोही।		1. उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज 2. तहसीलदार शिवगंज

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 21.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2016 अनवान रूपसिंह बनाम राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री भरतसिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 30 अक्टूटर, 2019

1 अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज में प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2016 अनवान रूपसिंह बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 के विरूद्ध यह प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 18.9.18 को प्रस्तुत की गई है।

2 अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3 अपीलान्ट की अपील का मुख्य आधार यह है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी शिवगंज के समक्ष अपीलान्टस के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया गया। जिसमें वर्णित तथ्यों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी शिवगंज ने अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अपीलान्टस के द्वारा चाहा गया अनुतोष यानि मौजा बडगांव के राजस्व रेकर्ड खसरा संख्या 821/1 के स्थान पर खसरा संख्या 807/2 व खसरा संख्या 807/2 मिन 1 की भूमि दर्ज कर राजस्व रेकर्ड शुद्ध किये जाने को अस्वीकार करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2018 को पारित कर दिया। जिस आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील अपीलान्टस के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4 हमने दोनों पक्षकारान के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी।

5 दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 807/2 में 45 बीघा व खसरा संख्या 807/2 मिन 1 में 40 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 821/1 में 385 बीघा 1 बिस्वा बिलनाम भूमि आई हुई थी। उसमें से खसरा संख्या 807/1 व 807/2 मिन 1 पर रघुनाथसिंह पुत्र सबलसिंह जो अपीलान्ट के पूर्वज है, का सेटलमेन्ट से ही कब्जा काश्त चला आ रहा था जो प्रस्तुत जमाबन्दी 2020 से 2023 के दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होती है। इसी तरह इसके पश्चात भी उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है।

6 अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की बिलानाम भूमि पर अपीलान्टस का संयुक्त व पृथक–पृथक कब्जा काश्त साबित होने पर तहसीलदार शिवगंज ने उक्त खसरा संख्या की भूमि को अपने आदेश कमांक 2316 दिनांक 16.04.1965 के द्वारा अपीलान्टस के पक्ष में नियमन करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु तत्कालीन पटवारी हल्का की लिपिकिय त्रुटि के कारण अपीलान्टस के नियमन आदेश व नामा0 संख्या 565 दर्ज करने में खसरा संख्या 821/1 मौजा बडगांव की 16 बीघा 08 बिस्वा भूमि का इन्द्राज कर दिया गया है जो स्पष्ट रूप से राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लिपिकिय त्रुटि की दुरूस्ती का प्रकरण है।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर सत्यमेव जयते
डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

7 अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि इस लिपिकिय त्रुटि के कारण अपीलान्टस के विरूद्ध तहसीलदार शिवगंज न्यायालय के द्वारा धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 843/78 एवं 37/99, दर्ज किये गये थे तब भी अपीलान्टस के द्वारा उल्लेखित त्रुटि के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया था। इसी तरह न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही ने भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट के निस्तारण में भी तहसीलदार शिवगंज द्वारा उनके खसरा संख्या 807 में कब्जा होने की सूरत में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8.3.1978 अनुसार अपीलान्टस के कब्जे अनुसार खसरा परिवर्तन की कार्यवाही अमल में लानी चाहिये थी। और इस प्रकार पूर्व में चल रही त्रुटि को सुधारने हेतु धारा 136 के तहत कार्यवाही अपीलान्टस के द्वारा की गई थी।

8 अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस ख0स0 807 जो कि नये खसरा नम्बर 807/2 व 807/2/1 के संयुक्त खातेदार है तथा अपीलान्टस के पक्ष में उनके नियमन आदेश तहसीलदार शिवगंज के द्वारा दिनांक 16.5.1965 को पारित किये गये है परन्तु पटवारी हल्का की भूलवश खसरा संख्या 821/1 मे दर्ज हो गया। इस सम्बन्ध में अपीलान्टस पूर्व से ही विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही करता आ रहा है। उक्त खसरान भूमि की औघोगिक प्रयोजनार्थ अवाप्ति कार्यवाही के दौरान भी अपीलान्टस के द्वारा अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थी। जिसे दरकिनार करते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने अपने आदेश दिनांक 19.3.2015 के द्वारा रीको हुए सुरक्षित घोषित कर दी गई। इसके उपरान्त अपीलान्टस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई।

9 अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश दिनांक 16.7.99 में यह आदेश दिया गया था कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8.3.1998 के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के संशोधन की आवश्कता होने पर समक्ष न्यायालय में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाने पर आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.5.2018 के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन कर बिना किसी उचित कारणो के अस्वीकार कर दिया गया।

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

10 अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस सन 1962 से ही इसी खसरा संख्या 807/2 व 807/2/1 की भूमि पर काबिज काश्त होने से तथा तदुपरान्त बंदोबस्त के समय पटवारी हल्का द्वारा त्रुटिवश ख0सं0 821 के बाबत इन्द्राज किया गया जिसके सम्बन्ध में अपीलान्टस सन 1962 से ही लगातार उक्त प्रकार की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के सुधार हेतु कार्यवाही करता आ रहा है। लेकिन तहसीलदार कार्यालय की ओर से अपीलान्टस को खसरा संख्या 807/2 पर अतिक्रमी मानते हुए कार्यवाही करता रहा है जिसके विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष अपील भी की गई थी जिसमें अपीलीय न्यायालय के द्वारा तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया गया था कि वे अपीलान्टस के जवाब एवं पूर्ण सुनवाई कर कब्जाशुदा विवादग्रस्त भूमि की जॉच करने व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8.7.78 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस करने पर इसकी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जावें। परन्तु अपीलान्टस के प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से विधि के अनुरूप कार्यवाही नहीं करते हुए मात्र तहसीलदार कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र धारा 136 आरएलआर का अस्वीकार कर दिया गया जो विधि अनुकूल उचित नहीं होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावें।

11 प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 के तहत नहीं दिया जा सकता था क्योंकि अपीलान्टस को पूर्व में खसरा संख्या 821/1 में 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि का ही आवंटन वर्ष 15.05.1965 को तहसीलदार शिवगंज के द्वारा किया गया था परन्तु अपीलान्ट उक्त आवंटित भूमि खसरा संख्या 821/1 के बजाय अच्छी गुणवता वाली भूमि यानि खसरा संख्या 807/2 व 807/2/1 की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया और लगातार इस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे है जिनके विरूद्ध तहसीलदार न्यायालय शिवगंज के द्वारा धारा 91 आरएलआर के तहत कार्यवाही करते हुए इन्हें अतिक्रमी माना है। अतः अपीलान्ट यदि अपने को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में, स्वीकृत किये गये नामा0 में किये गये इन्द्राज एवं जमाबन्दी के इन्द्राज को सही नहीं मानता है तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष इस हेतु

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर
डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

तत्समय ही नियमन कमेटी के निर्णय की सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी। प्रार्थी की नियमित भूमि का अतिक्रमित भूमि से कोई विनिमय नहीं किया जा सकता है एवं न ही इव विनिमय की धारा 136 के तहत दुरूस्ती की जा सकती है।" हम विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी के इन तथ्यों से पूर्ण सहमत है क्योंकि प्रथमतः तो अपीलान्टस को आवंटित हुई भूमि खसरा संख्या 821/1 रकबा 16 बिस्वा 8 बिस्वा भूमि का इन्द्राज नामा0 एवं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में हुआ था जो आज भी निरन्तर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में चला आरहा है। ऐसे में उन्हें धारा 136 की परीधी में दुरूस्ती करने योग्य नहीं माना जा सकता है। द्वितीयतः यदि अपीलान्टस अपने को मौजा बडगांव की अन्य खसरा संख्या की भूमि आवंटित होना मानते थे तो उन्हें तत्समय ही नियमन कमेटी अथवा दर्ज किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चारा जोही करनी चाहिये थी। अपीलान्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात अपने हक–अधिकारों हेतु धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता है। अतः इन सभी आधारों पर हम यह समझते है कि अपीलान्टस की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

15 अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस अस्वीकार की जाती है तथा लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज) के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 को यथावत बहाल रखा जाता है। आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर